न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 25 / 2022 / प्रार्थना पत्र

उनवान

1. घीसूलाल उर्फ घीसालाल पि. लक्ष्मीनारायण जाति धोबी नि. पिड़ावा तहसील पिड़ावा

– प्रार्थीगण

बनाम

1. रामलाल पि. नारान जाति धोबी नि. पिड़ावा तहसील पिड़ावा
2. सरदारबाई पुत्री देवाजी जाति धोबी नि. पिड़ावा तहसील पिड़ावा
3. नारायण पि. पीरू जाति धोबी नि. पिड़ावा तहसील पिड़ावा
4. पुरा पि. पीरू जाति धोबी नि. पिड़ावा तहसील पिड़ावा
5. बालकिशन पि. पुरा जाति धोबी नि. पिड़ावा तहसील पिड़ावा
6. हरिराम पि. पुरा ाजति धोबी नि. पिड़ावा तहसील पिड़ावा
7. दिनेश पि. पीरू जाति मेघवाल नि. दिलावरा तहसील पिड़ावा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC

~~प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट~~ /

उपस्थिति – वकील प्रार्थी – श्री गौरव मीना , श्री पूरीलाल राठौर

वकील अप्रार्थीगण – श्री ईश्वर सिंह , श्री विनोद जैन ,

श्री प्रेमचन्द चौधरी , श्री अहमद उल्ला खान

—: आदेश :— दिनांक : 05/08/2022

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने धारा 151 जा.दी. के तहत प्रार्थना पत्र पेश निवेदन किया कि प्रार्थी की पुश्तैनीय आराजी ग्राम पिड़ावा तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0 में खाता संख्या 620 खसरा संख्या 1822 / 347 रकबा 0.2276 है0, खाता संख्या [illegible]80 खसरा संख्या 1817 / 344 रकबा 0.0632 है0, खसरा संख्या 1818 / 345 रकबा 0.[illegible]3 है0, खाता संख्या 292 खसरा संख्या 340 रकबा 0.0126 है0 , खाता संख्या [illegible] खसरा संख्या 1813 / 340 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.08.10 11:34:41 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2022

(सन्तोष कुमार मीना,
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

0.1265 है0, खसरा संख्या 1814/341 रकबा 0.3035 है0, खसरा संख्या 2194/1816 रकबा 0.0190 है0, खसरा संख्या 339 रकबा 0.0379 है0, खाता संख्या 360 खसरा संख्या 1815/341 रकबा 0.6197 है0, खसरा संख्या 344 रकबा 0.0379 है0, खसरा संख्या 345 रकबा 0.1138 है0, खाता संख्या 659 खसरा संख्या 347 रकबा 0.1012 है0, खाता संख्या 547 खसरा 2197/1821 रकबा 0.0128 है0, खसरा संख्या 341 रकबा 0.2529 है0, खसरा संख्या 343 रकबा 0.0126 है0, खाता संख्या 782 नया के खसरा संख्या 1819/347 रकबा 0.2276 है0 आराजी स्थित है। उक्त वर्णित समस्त वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी है जिसके संबंध में धारा 88 , 91 , 92 ए, 53 , 209 रा.टी.एक्ट के तहत वाद एवं धारा 212 रा.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/12 हिस्सा है जिसे खुर्द बुर्द करने एवं अन्य व्यक्तियों को बेचान करने पर अप्रार्थीगण आमदा है एवं प्रार्थी को उसके हिस्से व कब्जे से बेदखल करना चाहते है जिस कारण अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है। वादग्रस्त आराजी पूर्व में पीरू , बाला धोबी के खाते में दर्ज रिकार्ड थी एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके वारीसान लक्ष्मीनारायंण की मृत्यु के बाद सोहनबाई , कमलाबाई , लीलाबाई व प्रार्थी के नाम दर्ज हुई। सोहनबाई नाबालिग अवस्था में फोत हो गई। लक्ष्मीनारायण के तीन वारिसान लीलाबाई , कमलाबाई व प्रार्थी मौजूद थे। प्रार्थी नाबालिग था तब कमलाबाई व लीलाबाई ने प्रार्थी के हिस्से का बेचान कर दिया जिससे बेचान पत्र प्रारम्भ से शून्य है। लक्ष्मीनारायण की पुत्री सोहनबाई के देहान्त के बाद लक्ष्मीनारायण के तीन वारीस घीसा , लीलाबाई , कमलाबाई थे जिसका वादग्रस्त आराजी में 11 बीघा 15 बिस्वा में 1/4 का 1/3 हिस्सा अर्थात कुल का 1/12 हिस्सा निहित था। प्रार्थी अपने 1/12 हिस्से पर काबिज चला आ रहा है।

अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे मूल वाद पत्र व प्रार्थना पत्र की नियमित सुनवाई व निस्तारण होने तक वादग्रस्त आराजी को रहन बेचान अथवा खुर्द बुर्द नहीं करे , रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम पिडावा की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 620, 280, 292, 258, 360, 659, 547, 258, 782, [illegible] , 843, 606, व जमाबंदी खाता संत्र 191 , आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.08.10 11:34:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

... 0.4... है0, खाता संख्या 292 नया के खसरा संख्या 340 पड़त
रकबा 0.0126 है0, खाता संख्या 258 ...

अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से एडवोकेट श्री ईश्वरसिंह , अप्रार्थी सं. 2 , 5 की ओर से एडवोकेट श्री विनोद जैन , अप्रार्थी सं. 7 की ओर से एडवोकेट श्री प्रेमचन्द चौधरी ने वकालातनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी सं. 3 , 4 , 6 की ओर से बावजूद सूचना के कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी सं. 7 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को अस्वीकार कर विशेष आपतियो में निवेदन किया कि पूरा पि. बाला धोबी की मृत्यु के उपरांत विरासत नामा.सं. 89 दिनांक 11.11.1972 से खातेदारी प्राप्त होने पर तथा खरीददार रामलाल के पास जो भूमि प्राप्त हुई उसमें से रामलाल पुत्र नारायण धोबी ने आराजी ख.नं. 1819/347 का बेचान अप्रार्थी सं. 7 दिनेश मेघवाल को किया है। अप्रार्थी सं. 7 दिनेश बोना फाइड परचेजर है। दिनेश ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज सहखातेदार की भूमि को कय किया है इस कारण दिनेश खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधि विरूद्ध है। प्रार्थी के कथन अनुसार नाबालिग की भूमि का बेचान किया गया है अर्थात धोखाधडी जालसाजी संरक्षक ने की है उसके विरूद्ध घीसालाल को कानूनी कार्यवाही , फौजदारी कार्यवाही करना आवश्यक है परन्तु ऐसा नहीं कर सभी खातेदारान द्वारा मिलकर गलत सोच , दूषित कार्य करते हुये मात्र अप्रार्थी दिनेश के विरूद्ध वाद चलाना चाहते है। प्रार्थी को बालिग हुये 22 वर्ष गुजर चूके है अर्थात 22 वर्ष से पूर्व ही प्रार्थी घीसूलाल को बेचान की जानकारी रही है। प्रार्थी की जानकारी में है कि उसके नाबालिग अवस्था में संरक्षक द्वारा भूमि का बेचान परिवार सदस्यों को ही किया गया है। इससे साबित होता है कि धोखाधडी संरक्षक व खरीददार ने की है। बेचान को चुनौती देने की मियाद बालिग होने की स्थिति में धारा 60 परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुसार तीन वर्ष है जिससे चुनौती देने का अधिकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा गलत कथनो व आधारो पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने गलत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी दिनेश को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है। दिनेश राजस्व रिकार्ड में खातेदार है। खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] जाना खातेदार के हक , अधिकार , हितो पर कुठाराघात है।

प्रार्थी का प्रथम दृष्टया [illegible] सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थी को बालिग हुये 22 वर्ष [illegible] चुके है। प्रार्थी ने बेचान जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.08.10 11:34:41 IST
Reason: SelfAttested

(सन्तोष कुमार मीना),
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

नाबालिग अवस्था में किया गया है को स्वीकार किया है तथा बेचान को चुनौती नहीं दी है इस कारण चुनौती देने तथा स्वयं के हक हिस्से की घोषणा करवाने की पात्रता प्रार्थी को प्राप्त नहीं है इस कारण प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। मौके पर भूमि का हिस्से भाग अनुसार अपनी अपनी सुविधानुसार पारिवारिक बंटवारा हो रहा है। प्रार्थी खातेदार की हैसियत नहीं रखता है खातेदार नहीं है , खातेदार की पात्रता नहीं है। इस कारण प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषकगण द्वारा बहस में बताया कि दिनांक 20.01.1992 को प्रार्थी के अवयस्क होने की दशा में जो बेचान किया गया उस समय प्रार्थी के अवयस्क होने से बेचान शून्य है। नाबालिग की सम्पत्ति को संरक्षक कोर्ट की स्वीकृति के बिना बेचान नहीं कर सकता है। प्रार्थी 1/12 के हिस्से का हकदार है।

अप्रार्थी सं. 1 के अभिभाषक द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी 1/12 हिस्से पर अस्थाई निषेधाज्ञा लेकर आये परन्तु अस्थाई निषेधाज्ञा सम्पूर्ण भूमि पर होने से भूमि पडत है एवं पुलिस विभाग ने पाबंद कर रखा है। पक्षकारो के मध्य किया गया बेचान शून्य है अथवा नहीं यह दावे में तय होगा। रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त किये जाने हेतु सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है।

अप्रार्थी सं. 7 के अभिभाषक द्वारा निवेदन किया कि अप्रार्थी दिनेश बोना फाइड परचेजर है। संरक्षक द्वारा सही बेचान किया गया है। प्रार्थी 24 वर्ष बाद बिना संरक्षक को नोटिस दिये उक्त वाद/प्रार्थना पत्र को लेकर आया है। अप्रार्थी सं. 7 दिनेश द्वारा रजिस्टर्ड बयनामा से आराजी का कय किया है जिसका वह रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। धारा 151 जा.दी के अन्तर्गत जो अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दी गई है वह गलत है। सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी का बेचान नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी को धारा 151 जा.दी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

अभिभाषकगण द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक नजीरे पेश की गई जिनका एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन [illegible] प्रकरण में यह पाया कि ग्राम पिडावा की वादग्रस्त आराजी में दिनेश पि. [illegible] जाति मेघवाल नि. दिलावरा अप्रार्थी सं. 7 द्वारा वादग्रस्त आराजी में से [illegible]/347 रकबा 0.2276 हेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.08.10 11:34:41 IST
Reason: SelfAttested

(सन्तोष कुमार मीना,
उपखण्ड अधिकारी
पिडावा जिला झालावाड़

[illegible] 292 [illegible] के खसरा संख्या 340 पड़त

भूमि रजिस्टर्ड दस्तावेज से क्रय किया है जिसका नाम रिकार्ड खातेदार है जिसका राजस्व रिकार्ड में अलग खाता कायम हो चुका है। प्रार्थी धीसूलाल के नाबालिग अवस्था में किये गया बेचान संरक्षक द्वारा परिवार सदस्यों को ही किया गया है जिसको किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई। सुविधा का संतुलन एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं है एवं अपूरणीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थी की नही है।

अस्थाई निषेधाज्ञा का मूल प्रार्थना पत्र सं. 06/2021 धारा 212 रा.टी.एक्ट एवं वाद सं. 106/2021 न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.03.2022 को मुतफरिक प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. का मूल वाद के बाद प्रस्तुत किया। मूल प्रार्थना पत्र में भी अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है जिसमें उभयपक्षकारान को सुनवाई करते हुये निस्तारण किया जाना है। मुतफरिक प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. में दिनांक 07.03.2022 को जारी अंतरिम निषेधज्ञा आदेश निरस्त किया जाता है। मुतफरिक प्रार्थना को मूल प्रार्थना पत्र धारा 212 रा.टी.एक्ट के साथ संलग्न किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 05/08/2022 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
(राज.)
पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.08.10 11:34:41 IST
Reason: SelfAttested